# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
## पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 18/2020 | 2020/0037 | 12.02.2020 | 28.09.2022 |

उनवान प्रकरण

1. मुकेश यादव पुत्र गणपतराम

जाति अहीर निवासी ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रार्थी

**बनाम**

1. सुभाष यादव पुत्र गणपतराम
2. गणपतराम पुत्र घीसाराम

   समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)
3. पटवारी हल्का अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. उपपंजियक महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——अप्रार्थीगण

**उपस्थित:–**

**श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।**

**श्री फूलचन्द सामोता, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 अभिभाषक,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:32:36 IST
Reason: SelfAttested

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/09/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

## –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2427/366, 368/1 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0250 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां पटवार हल्का अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी व प्रतिवादी नम्बर 1 सगे भाई हैं तथा अप्रार्थी नम्बर 2 पिता है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमियां है। जिनका बंटवारा आपसी समझौता लेख दिनांक 14.10.2015 के अनुसार हो चुका हैं। इसी अनुसार पक्षकार मौके पर पूर्णतया काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे हैं। प्रार्थी का एक भाई पप्पूसिंह भूराराम ताऊ के गोद चला गया हैं व उसकी सम्पति पर काबिज है। उक्त भूमि मौरूसी जायदाद होकर सहदायकी सम्पत्ति है। सहदायकी सम्पत्ति में हिन्दु विधि के अनुसार जातक को जन्मतः हक अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिसके अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि के 1/3 हिस्सा हक अधिकारी जन्मतः है। जिसकी घोषणा करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। अर्सा कुछ समय से अप्रार्थी नम्बर 1 ने अप्रार्थी नम्बर 2 को अपने प्रभाव में ले रखा हैं तथा वे बेवजह प्रार्थी से रंजिश रखते है तथा येन–केन प्रकारेण उक्त अप्रार्थीगण, प्रार्थी को बरबाद करने पर तुले हुये है। प्रार्थी की पत्नि कैंसर पीडित हैं जिसके ईलाज में काफी रूपये खर्च हो चुके हैं। प्रार्थी के परिवार की भूखों मरने की नौबत आ चुकी हैं। इसी के चलते प्रार्थी को अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 बरबाद करने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि को जबरन बलात तरीके से प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे की भूमि में जबरन मुंतकिल कर प्रार्थी को बरबाद कर चुके हैं तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि को अन्तरण, मुन्तकिल व हस्तान्तरण कर प्राप्त कर चुके हैं। इस हेतु प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर आपसी समझौते लेख दिनांक 14.10.2015 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:36 IST
Reason: SelfAttested

20/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अनुसार पूर्णतया काबिज व आबाद हैं परन्तु अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 उक्त भूमि से प्रार्थी को बरबाद करने की नियत से प्रार्थी के हिस्से से उसे महरूम करने पर तत्पर हो रहे हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के हिस्से 1/2 की भूमि की कब्जा काश्त व समझौता लेख अनुसार खातेदारी अपने नाम से घोषणा कराने का अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थी को उसके हिस्से से जबरन महरूम करने हेतु भूमि में जबरन बलात कब्जा करने व भूमि को खुर्द--बुर्द कर दीगर व्यक्तियों को भूमि को अन्तरण करने की एलानियां धमकी दिनांक 05.02.2020 को दी गयी है तथा उन्होंने यह भी धमकी दी है कि हम शीघ्र ही तुम्हारे हिस्से की भूमि पर जबरन बलात कब्जा दीगर भूमाफिया लोगों को कराकर भूमि का अन्तरण करके रहेंगे। इस कारण मजबूर होकर प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। बिनाय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा दिनांक 05.02.2020 को प्रार्थी को उसके हिस्से से महरूम करने हेतु दीगर भूमाफिया लोगों को भूमियां अन्तरण कर जबरन बलात कब्जा कराने की धमकियां दिये जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 05.02.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व प्रार्थी को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करने, रहन रखने तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने की धमकी देने पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम दृष्ठवा मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त बखुबी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त बेजा मकसद में कामयाब हो जायेंगें तो प्रार्थी को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति होना किसी भी सूरत में बाद में सम्भव नही [illegible] कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना [illegible] है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत [illegible]ा जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:36 IST
Reason: SelfAttested

20/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 को ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2427/366, 368/1 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0250 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां, पटवार हल्का अरनियां, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख आदि द्वारा अन्तरित करें, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखकर ऋणधन प्राप्त करे, ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवावे, ना ही प्रार्थी की जोर जबरन बेदखल करे, ना ही दीगर से करावे, ना ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे, न दीगर से करावे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थी के हक हकूकों पर कोई विपरित असर पड़ता हो एवं अप्रार्थीगण नम्बर 3 ता 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि के बाबत होने कोई दस्तावेज, अन्तरण लेख आदि को किसी प्रकार से तस्दीक नही करे, ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 2 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 की नोटिस तामील साधारण तरीके से असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:36 IST
Reason: SelfAttested

20/09/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थी ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियाँ प्रार्थी के दादा धीसाराम पुत्र चन्द्राराम के नाम दर्ज होकर जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमिया प्रार्थी की पैतृक व मौरूसी जायदाद होकर सहदायकी सम्पति है। सहदायकी सम्पति में हिन्दू विधि के अनुसार जातक को जन्मतः हक अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिसके अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमियों में 1/3 हिस्से का हक अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाने से उसकी घोषणा कराने का प्रार्थी विधिक अधिकारी है। इस बाबत आपसी समझौता लेख दिनांक 14.10.2015 को होकर लिखा पढ़ी की जा चुकी है। इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर इसी अनुसार प्रार्थी 1/2 हिस्से पर मौके पर कब्जा काश्त समझौता लेख अनुसार काबिज काश्त है। जिसके आधार पर प्रार्थी वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन आदेश दिनांक 12.02.2020 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंर्फम किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 2 आपस में पुत्र व पिता हैं। प्रार्थी अपने माता पिता के कर्तव्यो से विमुख हैं व आये दिन माता पिता से गाली गलौच करता है व झगड़ा फिसाद कर मरने मारने पर तत्पर रहता हैं व अपने माता–पिता के कर्तव्यों से हमेशा से ही विमुख रहता हैं एवं अपने पुत्र कर्तव्यों का निर्वहन नही करता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित वादग्रस्त [illegible] खसरा नम्बर 2487/366, 368/1 [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर कुल किता 2 कुल रकबा 3.0250 हैक्टर तन नाम अ[illegible] [illegible]कार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। अपने राजस्थान का अप्रार्थी नम्बर 2 काबिज खातेदार क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:36 IST
Reason: SelfAttested

28/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम खातेदारी शुदा भूमि बाबत अप्रार्थी नम्बर 1 को पूर्णरूपेण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अपने कर्तव्यो से विमुख होने व अपने माता पिता का भरणपोषण, सेवा सुश्रवा नही करने तथा उल्टा मारपीट करने पर आमादा रहने से अप्रार्थीगण का जीवन दूर्भर कर रखा है। इस कारण सम्पत्ति में वो किसी प्रकार का हिस्सा लेने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 2 के दो पुत्र प्रार्थी मुकेश व अप्रार्थी नम्बर 1 सुभाष व एक पुत्री मंजू देवी ही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखता है व उनकी सेवा सुश्रुषा करता हैं व बीमार होने पर दवाईया आदि भी दिलाता है तथा सम्पूर्ण खर्चा भरणपोषण आदि भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही किया जाता हैं। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की भाषा शैली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दीगर लोगों के बहकावे में आकर व अप्रार्थीगण के विरूद्ध रंजिश रखने के दुराशय भाव से प्रस्तुत की गई है, जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नही होने के कारण स्वयय खारिज फरमाये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, खाता संख्या 487, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा व पुरानी जमाबंदी सम्वत 2053–56 की 2 जमाबंदीयां व सम्वत 2045–52 एवं आपसी समझौता लेख दिनांक 14.10.2015 का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त अराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम वर्तमान में दर्ज रिकार्ड है। जो उनको प्रार्थी के दादा घीसाराम पुत्र चन्द्राराम से जरिये विरासत प्राप्त होना प्रकट होता है तथा आपरी समझौता लेख दिनांक 14.10.2015 जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य लिखा गया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी नहीं है। जिससे उक्त लिखावट के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:36 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकार का कोई हक अधिकार नही मिलता है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात को खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 2 के वादग्रस्त अराजी भूमियों में खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में होना पाया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ही होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सुरत में पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

## —:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.02.2020 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/09/22

( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.10.10 10:22:36 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/09/22

( दिलीप सिंह )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)